न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP1893

आपराधिक निगरानी संख्या–258/2025
कंप्यूटर रजि०सं०–258/2025
CNR NoUPGZ010070272025

सुनील रावत पुत्र श्री ओमपाल रावत उम 40 वर्ष निवासी–380 ए, सर्वोदय नगर विजयनगर तहसील व जिला गाजियाबाद।

–निगरानीकर्ता/परिवादी

बनाम

1–उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) गाजियाबाद।
2–पुनित शर्मा निवासी–प्लॉट सं० 257 रामपुरी भूड भारतनगर गाजियाबाद।

–विपक्षीगण/उत्तरदातागण

अंतर्गत धारा–203 द०प्र०सं०
थाना–विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

दिनांकः01–04–2026

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा परिवाद संख्या–4737/2023 सुनील कुमार पुनित में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 02 गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–03–2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत परिवाद को अंतर्गत धारा–203 द०प्र०सं० निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में तथ्य यह है कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष परिवाद यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि परिवादी सोम ग्रुप इन्टर प्राईजेज के नाम से इलेक्ट्रोनिक्स व अन्य मैन्टीनेन्स सम्बंधित कार्य करता चला आता है। वर्ष 2020 में परिवादी की मुलाकात पुनित शर्मा से हुई जो शिनिक इन्टीरियर के नाम से कान्ट्रेक्टर का कार्य करता है। विपक्षी द्वारा परिवादी से धोखाधड़ी व जालसाजी के उद्देश्य से बताया गया कि आप हमारी कंपनी के लिए काम करो जिससे आप जितना भी पैसा लगाओगे तो उक्त कार्य के लाभ में आधे की हिस्सेदारी परिवादी को देगा। परिवादी द्वारा विपक्षी की बातों पर विश्वास कर मौखिक करार होने पर विपक्षी द्वारा बताए गए स्थानों पर अपने लेवर से पैसे देकर इलेक्ट्रोनिक्स कार्य करवाया। विपक्षी ने उसको पैसों की जरूरत होने के आधार पर बिजेनस में पैसा लगाने पर उसका 50 प्रतिशत लाभ देना कहा। जिसपर परिवादी द्वारा विपक्षी को 3,21,000/–रू० गवाहों के सामने तथा 10900/–रू० गूगल पे के माध्यम से दिए। परिवादी द्वारा स्वयं अपने मजदूरों से पुनित द्वारा बताया गया लगभग 15,00,000/–रू० का कार्य कराया गया जिसकी मजदूरी परिवादी स्वयं देता रहा। परिवादी को मजूदरों के पेमेन्ट की आवश्यकता पड़ने पर पुनित द्वारा मात्र 1,60,500/–रू० भिन्न भिन्न

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.04.02 10:47:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तिथियों पर दिए गए। जब परिवादी द्वारा विपक्षी को बताया गया कि परिवादी लगभग 15 लाख रू० का काम कर चुका है तो विपक्षी ने अपनी कंपनी के नुकसान की बात कहकर बाद में पेमेन्ट देने का आश्वासन दिया किंतु विपक्षी द्वारा न तो परिवादी द्वारा लगायी गयी धनराशि का लाभ का पैसा दिया तथा न ही कार्य में होने वाले लाभ का पैसा दिया, न ही हिसाब किया गया। परिवादी द्वारा हिसाब करने व पैसों की मांग किए जाने पर परिवादी को जान से मारने व भुगतने की धमकी दी जा रही है। परिवादी द्वारा विवश होकर श्रीमान पुलिस आयुक्त के समक्ष एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 10–10–2023 को दिया गया, जो जाँच/कार्यवाही हेतु वरिष्ठ उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह थाना विजयनगर गाजियाबाद को सुपुर्द किया।जिनके द्वारा अभियुक्त/विपक्षी से साज कर गलत जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। परिवादी द्वारा उपरोक्त सम्बंध में पुनः एक शिकायत प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस आयुक्त को दिनांक 07–11–2023 को प्रस्तुत किया जिसमें परिवादी को पूछताछ हेतु थाना विजयनगर में बुलाया गया जहां परिवादी से समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य से पुलिस को अवगत कराया किंतु इसके बावजूद भी विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विपक्षी द्वारा किया गया अपराध अंतर्गत धारा–406,420,504,506 भा०द०सं० के तहत आता है, जो एक दण्डनीय अपराध है।

3– परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा विपक्षी/अभियुक्त को तलब किए जाने का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए आदेश दिनांक 01–03–2025 द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा–203 द०प्र०सं० निरस्त किया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी योजित की गयी है।

4– निगरानीकर्ता के द्वारा अपने आधार निगरानी एवं तर्क में कहा गया है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, जो किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया गया है, अग्रहणीय साक्ष्य को ग्रहण करते हए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवाद के तथ्यों को अपने बयान अंतर्गत धारा–200 द०प्र०सं० के तहत पूर्णतया साबित किया गया जिसमें परिवादी द्वारा अंकित किया कि सन् 2020 में विपक्षी सं० 2 के साथ इलेक्ट्रोनिक्स का काम शुरू किया जिसमें कंपनी का 15 लाख रू० का काम हुआ। परिवादी द्वारा विपक्षी सं० 2 को अंकन 3,21,000/–व 10,900/–रू० गूगल पे के माध्यम से अदा किए गए थे जिसमें से मात्र 1,50,000/–रू० विपक्षी द्वारा वापस किया गया तथा शेष धनराशि परिवादी को वापस नहीं की गयी तथा पैसों की मांग करने पर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके सम्बंध में निगरानीकर्ता द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के समक्ष आई जी आर एस पर की गयी,जिसमें थाना विजयनगर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह द्वारा मामले की जाँच की गयी, जिसमें आरोपी द्वारा 30 हजार रू० परिवादी द्वारा देना बताया तथा उसके बदले 30 हजार रू० नकद एवं 15–15 हजार रू० गूगल पे के माध्यम से कुल 60 हजार रू० देना परिवादी को देना बताया तथा अन्य कोई धनराशि शेष न होने का कथन किया गया।

यह भी कहा गया कि उक्त जाँच से संतुष्ट न होकर पुनः एक शिकायत प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा 07–11–2023 को प्रस्तुत किया जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त

कोतवाली पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को जांच हेतु बुलाकर तथा उनके बयान दर्ज किए गए। जिसमें आरोपी ने परिवादी द्वारा तीस हजार रू० मजदूरों की मजदूरी के लिए देना बताया तथा आरोपी द्वारा परिवादी को तीस हजार रू०अदा कर दिए जाने का कथन किया जबकि पूर्व जाँच दिनांक 21–10–2023 में पुनीत शर्मा द्वारा परिवादी को 60,000/–रू० दिया जाना वर्णित किया है, इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं० 2 द्वारा अलग अलग जाँचों में अलग–अलग बयान अंकित कराए हैं तथा अपने बयान में पैसों की लेन देन होना स्वीकार किया है। यह भी तर्क किया गया कि परीक्षण न्ययालय द्वारा दोनो जांचों पर कोई ध्यान न देकर मात्र जाँच आख्या अंतर्गत धारा–202(1)द०प्र०सं० को आधार बनाते हुए पुलिस रिपोर्ट के आधार पर परिवादी का परिवाद आक्षेपित आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

5– विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा गया कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा परिवाद में विपक्षी सं० 2 को जो 3,21,000/–रू० दिए जाने का झूठा कथन किया गया है जबकि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा केवल तीस हजार रू० मजदूरी के दिए गए जो उन्हें वापस कर दिए गए थे उक्त कथन बिल्कुल झूठा है। यह भी तर्क किया गया कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा जो 15,00,000/–रू० का कार्य कराए जाने का कथन किया गया है, वह भी असत्य है तथा वह कार्य केवल 8,42,525/–रू० का हुआ था लेकिन मजदूरी व अन्य कार्य की मजदूरी जोड़कर कुल 9,37,567/–रू० का खर्चा हुआ जिसमें 93,042/–रू० का नुकसान विपक्षी को हुआ। नुकसान हो जाने पर निगरानीकर्ता/परिवादी ने विपक्षी के साथ काम करना बंद कर दिया। विपक्षी पर निगरानीकर्ता/परिवादी की कोई बकाया धनराशि शेष नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है एवं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसे में यह दाण्डिक निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

6– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं मूल पत्रावली तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 01–03–2025 का परिशीलन किया गया।

7– निगरानीकर्ता की ओर से वर्तमान निगरानी में मुख्यतः यह तर्क किया गया है कि निगरानीकर्ता/परिवादी के साथ विपक्षी सं० 2/अभियुक्त पुनित शर्मा द्वारा छलकपट धोखा धड़ी करके परिवादी का पैसा हड़प लेने के सम्बंध में दिनांक 10–10–2023 को पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह थाना विजयनगर द्वारा की गयी जाँच दिनांकित 21–10–2023 में विपक्षी द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी को 60 हजार रू० दिए जाने का कथन किया है। उक्त जाँच के उपरांत निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 07–11–2023 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को प्रेषित किए गए शिकायत प्रार्थना पत्र में की गयी जाँच दिनांकित 14–12–2023 में विपक्षी सं० 2 द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी को 30 हजार रू० दिए जाने का कथन किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि विपक्षी द्वारा दोनों जाँचों में भिन्न भिन्न कथन किए गए हैं तथा पैसों का लेन देन होना भी स्वीकार किया है। किंतु परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों जांच आख्याओं पर कोई ध्यान न देकर मात्र पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत धारा–202(1)द०प्र०सं० के आधार पर परिवादी का परिवाद निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी

है, अतः आक्षेपित आदेश निरस्त होने योग्य है।

8– मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बंधित थानाध्यक्ष थाना विजयनगर गाजियाबाद को प्रकरण के सम्बंध में धारा–202(1)द०प्र०सं० के अंतर्गत नियमानुसार जाँच कर जाँच आख्या प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। आक्षेपित आदेश दिनांकित 01–03–2025 में सम्बंधित थाने द्वारा प्रेषित जाँच आख्या का उल्लेख करते हुए यह वर्णित किया गया है कि आवेदक सुनील रावत व विपक्षी पुनीत शर्मा ने नवम्बर 2020 में सोम ग्रुप इण्टरप्राईजेज के नाम से इलेक्ट्रोनिक्स व मैंटिनेंस का कार्य साझे में शुरू किया था, जिसमें आवेदक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पुनीत को 3,21,000/–रू० दिए थे, जिसमें से 1,50,000/–रू० वापस कर दिए हैं बाकी पैसे नहीं दिए। इस सम्बंध में विपक्षी पुनीत शर्मा ने बताया कि उसने सुनील रावत के साथ गौड सन्स में बिजली लेवर का कांट्रेक्ट का कार्य साझे में शुरू किया था। उसके द्वारा लेवर को पेमेंट किया किंतु सुनील रावत द्वारा मात्र 30 हजार रू० लेवर को पेमेंट किया है और 2021 में सुनील रावत ने कार्य छोड़ दिया है और सितम्बर 2021 में उसी कंपनी को अपना कार्य शुरू कर दिया है। उसके द्वारा 1,82,000/–रू० सुनील रावत को दिया गया था जिसमें से 80,500/–रू० सुनील रावत ने लेवर को दिया है। उक्त जाँच में यह भी उल्लिखित है कि पुनीत शर्मा द्वारा 1,82,000/–रू० के प्रपत्र उपलब्ध कराए हैं, जो जांच आख्या के साथ संलग्न हैं किंतु सुनील रावत 3,21,000/–रू० देने के सम्बंध में कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं करा सका है।

9– इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि परिवाद पत्र के कथनानुसार परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 10–10–2023 को विपक्षी द्वारा की गयी धोखाधड़ी के सम्बंध में पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जाना कहा गया है, जो जाँच/कार्यवाही हेतु वरिष्ठ उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह थाना विजयनगर गाजियाबाद को सुपुर्द किया गया जिनके द्वारा अभियुक्त/विपक्षी से साज कर गलत जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा उपरोक्त सम्बंध में पुनः एक शिकायत प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस आयुक्त को दिनांक 07–11–2023 को प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है किंतु उसमें हुई जाँच के पश्चात् भी विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने पर निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा सम्बंधित परीक्षण न्यायालय के समक्ष परिवाद योजित किया गया। जहाँ तक निगरानीकर्ता/ परिवादी की ओर से परीक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र में हुई जाँचों पर ध्यान न देकर मात्र सम्बंधित थाने से प्राप्त पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत धारा–202(1)द०प्र०सं० के आधार पर परिवादी का परिवाद निरस्त किए जाने सम्बंधी तर्क किया गया है तो उस सम्बंध में मूल पत्रावली में उपलब्ध दिनांक 07–11–2023 को निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र पर हुई जाँच में भी यह तथ्य पाए जाने का उल्लेख है कि आवेदक सुनील रावत द्वारा विपक्षी पुनीत शर्मा के साथ शिनिक इन्टीरियर के नाम से सेन्चूनियर पार्क नोएडा एक्सटेंशन जनपद गौतमबुद्धनगर में बिजली की फिटिंग का कार्य नवम्बर 2020 से शुरू किया गया था। उक्त कार्य करने के लिए विपक्षी पुनीत शर्मा ने आवेदक सुनील रावत को 50 प्रतिशत लाभ देने के लिए मौखिक कहा गया, उक्त कार्य करने के लिए दोनों पक्षों में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ था। आवेदक सुनील रावत द्वारा उक्त कार्य करने के लिए 3 लाख 21 हजार रू० नगद विपक्षी व मजदूरों की मजदूरी का देना बताया गया है किंतु आवेदक के पास उक्त पैसा देने के सम्बंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। जाँच आख्या के अंत में यह भी उल्लिखित है कि आवेदक का विपक्षी से बिजली फिटिंग के कार्य करने के

दौरान पैसे का लेन देन व लाभ न देने को लेकर विवाद है तथा आवेदक के पास विपक्षी व मजदूरों की मजदूरी का पैसा देने के सम्बंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है।

10– विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा भी अपने निष्कर्ष में यह कहा गया है कि परिवादी ने विपक्षी पर लगाए आपराधिक न्यासभंग व धोखाधड़ी इत्यादि के गंभीर आरोपों के सम्बंध में कोई सुसंगत एवं पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है एवं सम्बंधित थाने से प्राप्त जाँच आख्या अंतर्गत धारा–202(1)द०प्र०सं० के अनुसार भी निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा 3,21,000/– रू० विपक्षी को दिए जाने के सम्बंध में कोई प्रपत्र उपलब्ध न कराने एवं परिवादी व साक्षी के अभिकथनों तथा थाने से प्राप्त आख्या के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही अग्रसरित करने का कोई न्यायोचित आधार न पाते हुए परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा–203 द०प्र०सं० निरस्त किया गया है।

11– उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत प्रतीत होता है तथा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः यह दाण्डिक निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 01–03–2025 पुष्ट किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 01–03–2025 पुष्ट किया जाता है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 01.04.2026 गाजियाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 01.04.2026 गाजियाबाद।